


*शिक्षा, न्याय, चुनाव निःशुल्क * हर नागरिक को भारत की कुल कमाई का हिस्सा देना * 'कर' केवल एक प्रकार का आप राम को समय दीजिये, राम आपको गोरक्षा व सुशासन देगा



राष्ट्रीय अहिंसा मंच

१३२/१ महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता-७, फ़ोन-२२७०७११४
९४३३०२३९९९ ईमेल : rashtriyaahinsamanch@gmail.com



"गौसेवा से सिद्ध हों सहज चतुर्पुंथार्थ, दुःख नाश हो, सुख मिले, सधे चरम परमार्थ" - हनुमान प्रसादजी पोद्दार

रक्षाबंधन 10.8.2014

आदरणीय मोदी जी

सादर वन्दे कामधेनु मातरम्।

रक्षा बंधन की शुभकामना स्वीकार करें। आशा है आपको हमारे ८ और २९ जुलाई के पत्र मिले होंगे। १ सितम्बर से दिल्ली में होने वाले "सौम्य सत्याग्रह" की तैयारी हेतु १-२ अगस्त गायत्री धाम गौशाला में गौरक्षा गोष्ठी रखी थी। उसमें पधारे गौभक्तों ने आपको निम्नलिखित निवेदन करने का निर्देश दिया है :-

१. इस सत्याग्रह की प्राथमिकता - सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना, जनता को गाय से जोड़ना, किसान को जैविक कृषि के लाभ समझाना, गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाना और गौरक्षा पक्ष में वातावरण बनाना है। यह "सौम्य सत्याग्रह" वस्तुतः सरकार का सहयोग करना चाहता है। आप और आपकी सरकार देश का तेजी से विकास चाहती है। भारत की अर्थ व्यवस्था का आधार गाय है, अतः गौवंश का तेजी से संवर्धन करने से ही देश का तेजी से विकास होगा। सत्याग्रह का मूल उद्देश्य - "भारत में पूर्ण गौरक्षा है।"

२. कृषि मंत्रालय का नाम और काम गौकृषि मंत्रालय रखा जाये। कत्लखानों को अनुमति पत्र देना बंद किया जाये और उन्हें गौसंवर्धन और बिजली उत्पादन केंद्र बना दिया जाये।

३. मांस निर्यातकों, रासायनिक खाद कारखानों को और कत्लखानों को जो सब्सीडी दी जाती है, उसे तत्काल बंद कर, वह राशि गोपालकों, गौशालाओं, ग्राम विकास, नस्ल सुधार, ग्राम गौशाला खोलने दी जाये।

४. जैसे चंडीगढ़ - साल्टलेक आदि नये बसे नगरों के अपने-अपने बाजार हैं वैसे आपके द्वारा प्रस्तावित १०० नगरों में गौशाला हो जो नगरवासियों को अमृत तुल्य देसी गाय का दूध उपलब्ध कराये।

५. आप भारत की भूमि को बंजर बनाना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि रासायनिक खाद से जमीन बंजर होती है और रासायनिक कीट नाशकों से हमारा भोजन जहरीला होता है। आप यह भी जानते हैं कि गोबर गौमूत्र की खाद और कीटनियंत्रकों से भारत की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अतः कृपया सभी रासायनिक खाद के कारखानों को निर्देश दें कि वे गोपालकों से गोबर-गौमूत्र खरीद कर जैविक खाद ही बनायें।

६. संविधान की शपथ खाने वाले सांसदों और मंत्रियों को संविधान के अनुच्छेद ४८ और ५१ का सार याद दिलाया जाये। अनु. ४८ कहता है - "यह सरकार का कर्तव्य है कि वह पशुधन की रक्षा और संवर्धन करे।" अनु. ५१ निर्देश है - "हर नागरिक को प्राणी-जगत और प्रकृति से प्रेम-रक्षण करना चाहिये।" कत्लखाने और मांस की दुकाने - संविधान का खुला उल्लंघन है- क्या सरकार संविधान के विरुद्ध अनुमति दे सकती है?

७. संविधान के अनु. १४१ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का हर आदेश कानून बन जाता है और पूरे भारत में लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय के १६-११-१९९४ के आदेशानुसार "गौवंश की कुर्बानी गैर-कानूनी है" और २६-१०-२००५ के अनुसार "गौरक्षा संवैधानिक कर्तव्य और गौहत्या संवैधानिक अपराध है।" कृपया इसका पर्याप्त विज्ञापन दें और इसे कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी कृपया दें।

८. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे - "गौ की हत्या मेरी हत्या है" राष्ट्रसंत विनोबा भावे की मांगे थी- (१) किसी उम्र के गाय-बैल न कटे और (२) मांस निर्यात न हो. तिलक ने कहा था - "आजादी मिलते ही कलम नोक से पूर्ण गौरक्षा होगी।" सभी संत गौरक्षा चाहते हैं. फिर देर क्यों? हेडगवारजी ने शिवाजी की तरह कसाई से गाय बचाई थी. महर्षि दयानंद और गुरु गोलवलकरजी ने गौरक्षार्थ हस्ताक्षर अभियान चलाया था. आज उनके अनुयायियों के हाथ में पूर्ण बहुमत से सत्ता है, अतः पहले पूर्ण गौरक्षा हो, फिर अन्य काम।

९. गाय सच्चा विकास प्राणी है - जो भूसा खा कर अनमोल गोबर (खाद-ईंधन) गौमूत्र (मनुष्यों, खेती की दवाई) और गौदुध (सर्वश्रेष्ठ आहार) नित्य देती है। अतः हर गौ को १५०० रु. प्रतिमाह दिया जाये। १९४७ में डॉलर की कीमत १ रु थी. गौवंश की रक्षा + संवर्धन करके ५ साल में पुनः रूपये को डॉलर के बराबर लाया जा सकता है. देश की अर्थ व्यवस्था का इतना सुधार केवल गौसंवर्धन से हो सकता है. गौसंवर्धन - आपके घोषणा पत्र में भी है. अगर आप पूर्ण गौरक्षा नहीं करेंगे तो आप के ऊपर भी तुष्टिकरण का आरोप लगेगा - जिससे आपकी छवि धूमिल हो जायेगी। अतः पुनः प्रार्थना है पूर्ण गौरक्षा को प्राथमिकता दें।

भवदीय

कृते राष्ट्रीय अहिंसा मंच

गोवर्धन शाह / सुदर्शन ढंडारिया

प्रतिलिपि : संत, संस्था, सांसद, मीडिया, सहयोगी सज्जन, गौभक्त।